Phone & Fax:– 0135&2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,
UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1094 / 138 सा0 प्र0 / 2018 दिनांक–8 / 12 / 2020

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में सेतु कार्यों की डिज़ाइन एवं डी0पी0आर0 गठित करने के लिये रु0 15 लाख तक की परामर्शी सेवाओं हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 की धारा 55(1) के अनुसार सेतु डिज़ाइन कार्य कैटेगरी बी–1 (Bridge Design Works Category-B1) [Conducting Feasibility Study, Analysis and Design and Preparation of Detailed Project Report and Proof Checking/Vetting of Design for all types of bridges/grade separators including approaches of bridges but excluding bridges with innovative design such as cable stayed, suspension bridge, etc.] में सक्षम परामर्शियों की सूची इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 990 / 138 सा0प्र0 / 2018 दिनांक 27 / 10 / 2020 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी।

संज्ञान में आया है कि सेतु डिज़ाइन कार्यों में इच्छुक अन्य डिजाइन कनसल्टेन्टस् द्वारा भी वर्ष भर अलग–अलग समय पर सेतु डिज़ाइन कार्य कैटेगरी बी–1 में एमपैनलमेन्ट हेतु आवेदन किया जा रहा है जिनके मूल्यांकन के फलस्वरूप एमपैनल्ड परामर्शियों की सूची में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। इस सम्बन्ध में एमपैनलमेन्ट की प्रकिया को सुनियोजित करने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किये जाते हैं कि सेतु कैटेगेरी बी–1 में एमपैनलमेन्ट हेतु समस्त आवेदन प्रत्येक वर्ष के माह अप्रैल एवं मई में प्राप्त किये जायेंगे एवं माह मई के अन्त तक प्राप्त सभी आवेदनों का मूल्यांकन माह जून में पूर्ण किया जायेगा। मूल्यांकन के उपरान्त सक्षम परामर्शियों की सूची दिनांक 1 जुलाई को प्राख्यापित कर दी जायेगी। सेतु डिज़ाइन कार्य कैटेगरी बी–1 में एमपैनलमेन्ट हेतु उपरोक्त अवधि से अलग प्राप्त सभी आवेदनों पर माह मई एवं जून में ही विचार किया जायेगा।

यह आदेश दिनांक 1 / 1 / 2021 से लागू माने जायेंगे।

(इं0 गोकर्ण सिंह पांगती)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय / रा0मा0 लो0नि0वि0, देहरादून / पौड़ी / हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
3. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I / II / III, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय,लो0नि0वि0,देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8.12.2020
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)